कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

पत्रांकः 138/सा0प्र0/आई.टी. एस्सेट्ट का निस्तारण/2018–19/319 दिनांकः 04.01.2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून में रखी निष्प्रयोज्य सामग्री (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, सर्वर इत्यादि) जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलामी हेतु दिनांक 28.01.2019 सायं 03:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 28.01.2019 को ही सायं 03:30 बजे कार्यालय के चतुर्थ तल पर स्थित रिडिंग रूम (416–B) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित नीलामी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जाएगी।

हस्ता0/–

उपमहालेखाकार/प्रशासन

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–

1. निविदाकर्ता नीलाम होने वाली सामग्री को दिनांक 13.01.2019 से दिनांक 18.01.2019 तक (कार्य दिवसों में) प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक सामान्य प्रशासन अनुभाग की अनुमति लेकर भौतिक रूप से देख सकते है।
2. निविदाकर्ता नीलामी योग्य सामग्री को भौतिक रूप से देखने के पश्चात् अपनी निविदा एक सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 28.01.2019 को 03:00 बजे तक निम्न दस्तावेजों के साथ सामान्य प्रशासन अनुभाग में रखी निविदा पेटी में डालेंगे :–

   (i) निविदाकर्ता को रूपये 10,000/– की Earnest Money Deposit (EMD) का बैंक ड्राफ्ट / FDR / बैंक गारण्टी जो वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

   (ii) निविदाकर्ता भौतिक रूप से देखी गयी नीलामी योग्य सामग्री के कुल अनुमानित मूल्य को शब्दों तथा अंको में स्पष्ट रूप से लिखकर एक सादे पेपर पर स्वयं या फर्म के लेटर हैड पर हस्ताक्षरित कर सीलबन्द लिफाफे में कार्यालय के निविदा बॉक्स में डालेंगे।

   (iii) निविदाकर्ता को Identity Verification हेतु अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड की पठनीय छायाप्रति सीलबन्द लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
3. निविदायें दिनांक 28.01.2019 को निविदाकर्ताओं के समक्ष सायं 03:30 बजे नीलामी समिति द्वारा खोली जायेगी। नीलामी समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार जिस निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाएगा उस सफल निविदाकर्ता को घोषित मूल्य का 25% उसी दिन कार्यालय में नकद जमा करना होगा तथा शेष धनराशि उसी दिन या अगले दिन नकद जमा करनी होगी। पूर्ण नीलामी धनराशि जमा करने पर ही सफल निविदाकर्ता सामग्री उठा सकता है। नीलामी की कुल धनराशि पर 1% Tax Collection at Source भी निविदाकर्ता द्वारा देय होगा।
4. अन्य सभी निविदाकर्ता अपनी E.M.D धनराशि उसी दिन कार्यालय से निविदा के साथ लगे आधार कार्ड या पेन कार्ड की मूल प्रति दिखाकर प्राप्त कर सकते है।
5. सफल निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे पर वाहन द्वारा सामग्री को बिना क्षतिग्रस्त किये एक ही दिन में प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक उठानी होगी। सायं 05:00 बजे के बाद निविदाकर्ता का कोई व्यक्ति/मजदूर तथा वाहन कार्यालय परिसर में नहीं रहेगा।
6. विभाग बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

हस्ता0/–

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

पत्रांकः 138 / सा0प्र0 / आई.टी. एस्सेट्ट का निस्तारण / 2018–19 / 319 दिनांकः 04.01.2019

नीलामी की सूचना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून के कार्यालय में रखी निष्प्रयोज्य सामग्री (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, सर्वर इत्यादि) जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलामी हेतु मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित करता है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदायें दिनांक 28.01.2019 को सायं 03:00 बजे तक इस कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग की निविदा पेटी में डाल सकता है। इस तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदायें दिनांक 28.01.2019 को ही सायं 03:30 बजे कार्यालय के चतुर्थ तल पर स्थित कमरा नं0 416–B में खोली जायेंगी। निविदाकर्ता दिनांक 13.01.2019 से 18.01.2019 तक (कार्य दिवसों में) प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक निष्प्रयोज्य सामग्री का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।

निविदाकर्ता नीलामी की नियम एवं शर्तों को कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग अथवा कार्यालय की वेब साइट www.agua.cag.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

नोट :– विभाग बिना कारण बतायें निविदा को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

हस्ता0 / –
उपमहालेखाकार / प्रशासन
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून।